नदी जोड़ पर विशेष समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 12.11.2021 को दोपहर 2:00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित नदी जोड़ पर विशेष समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में **विज्ञान भवन, नई दिल्ली में नदी जोड़ पर विशेष समिति की 19वीं बैठक का कार्यवृत्त** (एससीआईएलआर) की 19वीं बैठक 12.112021 को आयोजित की गई थीं। कुछ प्रतिभागियों ने वीसी लिंक के माध्यम से भी बैठक में भाग लिया, बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची अनुबंध- I पर दी गई है।

सबसे पहले, श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, ज.सं.न.वि व गं.सं.वि, ने श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, , माननीय जल शक्ति मंत्री, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, विशेष समिति के सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नदियों को जोड़ने की परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2021 में एक प्रमुख प्रगित के रूप में, केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए माननीय प्रधान मंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 22 मार्च, 2021 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को केन बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन में आगे की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय में राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) का गठन सक्रिय रूप से विचाराधीन है और एनआईआरए आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। तब उन्होंने माननीय जल शक्ति मंत्री से अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के लिए अनुरोध किया।

माननीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने अपने उद्घाटन भाषण में श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, विशेष समिति के सभी सदस्यों और अन्य प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने उल्लेख किया कि हम सभी एक समान डोमेन "पानी" से जुड़े हुए हैं और पानी पूरी मानव जाति के लिए सबसे कीमती संसाधन है। माननीय मंत्री जी ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि एक ही समय पर बाढ़ और दूसरी ओर सूखे की समस्या से हमारा देश इस बहुमूल्य संसाधन के प्रबंधन में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है

नदी जोड़ (आर्अएलआर) कार्यक्रम को भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, लेकिन भारत सरकार के साथ-साथ राज्यों के कारण हमारे संघीय ढांचे और आपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अपनी प्रतिबद्धताओं से पिछड़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि "पानी" एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन देश में जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक बेहतर भविष्य और हमारी भावी पीढ़ियों की सुरक्षित वातावरण के लिए दृढ़ विश्वास के साथ मिलकर काम करना समय की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी ने नदी जोड़ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयासों का उल्लेख किया। माननीय मंत्री ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता अनुबंध पर हस्ताक्षर के साथ एक नए युग की शुरुआत के रूप में वर्ष 2021 के महत्व पर भी जोर दिया और इस उपलब्धि ने नदी जोड़ परियोजनाओं पर हमारे विश्वास को मजबूत किया है और यह अन्य लिंक परियोजनाओं कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करेगा ।

माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रहित में कार्य करने वाले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के सहयोग की सराहना की। माननीय मंत्री जी ने आग्रह किया कि हमें नए उत्साह के साथ समयबद्ध तरीके से आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें पूरे देश में कुशल तापूर्वक जल पहुंचाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जल क्षेत्र में लक्ष्यों की सफल उपलब्धि के लिए सभी राज्य बहुत महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से आईएलआर जैसी अंतर-राज्यीय परियोजनाओं के लिए और सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे बड़े राष्ट्रीय हित के लिए आगे आएं और आईएलआर कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अपना सहयोग प्रदान करें।

इसके बाद, श्री प्रह्लाद सिंह पटेल माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री ने सभी प्रतिभागियों को संबोधित किया और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, माननीय जल शक्ति मंत्री, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, सभी सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण के संदर्भ में कि पानी भविष्य के विश्व युद्धों का कारण हो सकता है और आईएलआर परियोजनाओं की कार्यान्वयन के उनके स्वप्न के बारे में उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व, जल बंटवारे के मुद्दे आदि जैसे कई बड़े मुद्दे केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे बढ़ने में आड़े आए। केन बेतवा लिंक परियोजना कोई साधारण परियोजना नहीं है, बल्कि एक अनुकरणीय परियोजना है जो आईएलआर कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य परियोजनाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए हमारे उत्साह को और बढ़ाएगी। उन्होंने सभी राज्यों से अनुरोध किया कि वे आईएलआर परियोजनाओं जैसी बड़ी परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय हित के दृष्टिकोण से उनके बीच तकनीकी सहमति बनाने के लिए आगे आएं।

सचिव, ज.सं.न.वि व गं.सं.वि. ने श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री (डब्ल्यूआर), बिहार से बैठक को संबोधित करने का अनुरोध किया।

श्री संजय कुमार झा ने माननीय जल शक्ति मंत्री और सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने बिहार की भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डाला जिससे बिहार के कुछ क्षेत्रों को बाढ़ प्रवण क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों को पानी की कमी वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है । उन्होंने बिहार के कोसी-मेची अंत:राज्यीय लिंक की तैयारी के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक कार्यशील डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए निवेश स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने माननीय जल शक्ति मंत्री से बिहार के कोसी-मेची अंत:राज्यीय लिंक के लिए 90 (केंद्र): 10 (राज्य) फंडिंग पैटर्न के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण पटना के अधिकारियों से बिहार सरकार के जल संसाधन अधिकारियों के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया और राज्य की जल समस्याओं को हल करने के लिए बिहार की सभी छोटी नदियों को जोड़ने की संभावनाओं की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण करने का भी अनुरोध किया।

श्री उदयलाल अंजान, माननीय सहकारिता मंत्री और आईजीएनपी विभाग, राजस्थान सरकार ने अपने संबोधन में राजस्थान राज्य को बैठक में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करने के लिए माननीय जल शक्ति मंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने राजस्थान की जल संकट की स्थिति का हवाला दिया और माननीय मंत्री से राज्य की दो परियोजनाओं नामत: पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी)

और तजावाला हेडवर्क्स परियोजना के लिए लंबित मुद्दों को हल करने का अनुरोध किया। उन्होंने उल्लेख किया कि राजस्थान जैसे पानी की कमी वाले राज्यों के लिए नदियों को जोड़ना बहुत फायदेमंद होगा और इस कार्यक्रम का जल्द से जल्द विस्तार किया जाना चाहिए।

तत्पश्चात, सचिव, ज.सं.न.वि. व गं.सं.वि. ने कार्यसूची मद प्रस्तुत करने के लिए महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण से अनुरोध किया।

महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, विशेष समिति के सभी सदस्यों और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों और आमंत्रित गणों का हार्दिक स्वागत किया। फिर उन्होंने एक-एक करके कार्यसूची मद को शामिल करते हुए एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन दिया।

मद संख्या 19.1 और 19.2 : उन्होंने एससीआईएलआर की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर विभिन्न राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों और भेजे गए उत्तर तथा *18वीं बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों पर की गई अन्य अनुवर्ती कार्रवाइयों के बारे में जानकारी दी।*

समिति के सदस्यों ने एससीआईएलआर की *18वीं बैठक के कार्यवृति की पुष्टि की*

मद संख्या 19.3, 19.4 और 19.5: महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने वर्ष 2021-22 के लिए कार्य कार्यक्रम के बारे में बताया जैसा कि एजेंडा में दिया गया है और इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि हमने इस वर्ष के कार्यों के कार्यक्रम के संबंध में बहुत महत्वाकांक्षी योजना बनाई है, जिसमें प्राथमिकता लिंक के डीपीआर के बाद की गतिविधियों, चल रहे डीपीआरएस को पूरा करना, छह और डीपीआर की शुरुआत, एनपीपी के अंतर्गत सभी लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करना, 5 पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट को पूरा करना और 20 उप बेसिनों की जल संतुलन रिपोर्ट का संशोधन शामिल है, की स्थति पर जानकारी दी।

उन्होंने केन-बेतवा लिंक, दमनगंगा-पिंजाल लिंक, पार-तापी-नर्मदा लिंक, गोदावरी-कावेरी लिंक और अन्य लिंक नामत: कोसी-मेची अंत:रज्यीय लिंक, कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना, जिनका डीपीआरएस पूरा हो चुका है, जैसी प्राथमिकता पाप्त लिंक परियोतनाओं के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए की जाने वाली गतिविधियों को डीपीआर के बाद की गतिविधियों के रूप में सूचीबद्ध किया और बताया कि दौधन जलाशय के लिए चरण- II वन मंजूरी प्राप्त करने और नीतिगत निर्णयों के लिए एक संचालन समिति के गठन में तेजी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उन्होंने जुड़वा लिंक नामत: दमनगंगा-पिंजल लिंक और पर-तापी-नर्मदा लिंक की स्थिति के बारे में बताया । उन्होंने उल्लेख किया कि जल बंटवारे में प्रमुख मुद्दा यह है कि महाराष्ट्र लगभग 400 एमसीएम के पार-तापी-नर्मदा लिंक कैचमेंट में अपने योगदान के बदले तापी बेसिन में मुआवजे की मांग कर रहा है।

कावेरी-वैगई-गुंडार लिंक के बारे में उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि, यह लिंक तभी व्यवहार्य होंगे जब चरण- I में हिमालयी नदियों से पानी पूरक के तौर पर दिया जा सकेगा।

उन्होंने बेदती-वरदा लिंक पर कर्नाटक सरकार द्वारा सुझाए गए विकल्पों सहित इसकी डीपीआर संबंधित प्रगति के अध्ययनों के बारे में बताया, जिन्हें पूरा करने के लिए लक्षित किया जा रहा है। उन्होंने

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के एकीकरण के प्रस्ताव और एनपीपी के पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक और शामिल राज्यों के विचार के लिए प्रमुख मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट की स्थिति के बारे में जानकारी दी और सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, छह लिंक के एफआर पूरे किए गए और दो लिंक के प्रारूप डीपीआर को पूरा किया गया। नेत्रावती-हेमावती लिंक को छोड़कर क्योंकि कर्नाटक राज्य द्वारा कार्यान्वित की जा रही यतिनहोल परियोजना से इस लिंक के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, के अलावा मार्च, 2022 तक एनपीपी के अंतर्गत सभी लिंक की एफआर पूर किये जाने की योजना है। उन्होंने पांच लिंक के बारे में भी जानकारी दी, जिसके लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मद संख्या 19.6: महानदी-गोदावरी लिंक के लिए प्रणाली अध्ययन और कुछ अन्य लिंक के प्रणाली अध्ययन आरंभ करने का प्रस्ताव:

महानिदेशक, लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने महानदी-गोदावरी लिंक के लिए **प्रणाली अध्ययन** के काम के बारे में बताया, जो एनआईएच, रुड़की द्वारा किया जा रहा है और बताया कि "सबसे उपयुक्त वैकल्पिक योजना की पहचान के लिए प्रणाली अध्ययन" पर उप-समिति की पिछली कुछ बैठकों के दौरान इस कार्य पर विस्तृत चर्चा की गई। एनआईएच, रुड़की ने एक संक्षिप्त प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें "प्रस्तावित महानदी-गोदावरी लिंक के लिए मार्ग नहर सिंचाई के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न संभावित परिदृश्यों का अध्ययन" शामिल है। प्रारूप रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मानस-संकोष-तिस्ता-गंगा, फरक्का-सुंदरबन, गंगा-दामोदर-सुबर्नरेखा और सुवर्णरेखा-महानदी लिंक जैसे चार और लिंक का **प्रणाली** अध्ययन करने का प्रस्ताव है। विभिन्न संगठनों/शैक्षणिक संस्थानों से तकनीकी प्रस्ताव मांगे गए थे। उप-समिति की 18वीं बैठक में निर्णय के अनुसार, इन लिंक के **प्रणाली अध्ययन** का कार्य चार संस्थानों को दिया जाना प्रस्तावित है: नामत: एनआईएच, रुड़की (फरक्का-सुंदरबन लिंक परियोजना), एनआईटी, पटना (गंगा-दामोदर-सुबर्णरेखा), आईआईटी गोवाहाटी (मानस-संकोसब-तिस्ता-गंगा लिंक परियोजना) और एनआईटी, वारंगल (सुबर्नरखा-महानदी लिंक पिरयोजना)। वित्तीय प्रस्ताव और समय-सारिणी इन संस्थानों से मांगा गया है और उप समिति की होने वाली अगली बैठक में इस पर चर्चा की जायेगी।

मद संख्या, 19.7 उन्होंने अंत:राज्यीय लिंक परियोजनाओं की स्थिति भी दी कि 4 अंत:राज्यीय लिंक के डीपीआर पूरे हो गए हैं और 2 और लिंक के डीपीआर तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। 37 लिंक का पीएफआर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया गया है।

मद संख्या, 19.8 महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने नदियों को आपस में जोड़ने के लिए कार्य बल के कार्य की प्रगति की स्थिति के बारे में जानकारी दी। इसकी अब तक 15 बैठकें हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि टीएफआईएलआर की 15वीं बैठक 22.10.21 को राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन के एकमात्र एजेंडे के साथ आयोजित की गई तथा बैठक के दौरान इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई।

मद संख्या, 19.9: एनआईआरए का गठन: महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय नदी जोड़ प्राधिकरण (एनआईआरए) के गठन की पृष्ठभूमि तैयार की, जिसमें उन्होंने 2002 में आईएलआर पर टास्क फोर्स के गठन के निर्णयों से लेकर 2007 में आईआईएम, अहमदाबाद द्वारा प्रस्तावित संरचना, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश का संदर्भ और 2014 में आयोजित एससीआईएलआर के पहले बैठक के निर्णय आदि पर चर्चा शामिल है । जैसा कि विभिन्न तिमाहियों द्वारा आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक उपयुक्त रूप से सशक्त निकाय के गठन पर जोर दिया गया है, इस मामले को समय-समय पर सख्ती से देखा जा रहा है और 22.10.21 को आयोजित टीएफआईएलआर की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया था। महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया कि टीएफआईएलआर की पिछली बैठक के दौरान विचार-विमर्श के आधार पर, एनआईआरए की एक संरचना प्रस्तावित है और उन्होंने इसके व्यापक अधिदेश और कार्यों तथा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को एनआईआरए में शामिल करने के प्रस्ताव और एनआईआरए में समितियों की जनशक्ति की आवश्यकता और संरचना के बारे में विस्तार से बताया।

तत्पश्चात, माननीय जल शक्ति मंत्री ने राज्यों के प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों से अनुरोध किया कि वे विभिन्न मदों पर महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा की गई प्रस्तुति पर अपने विचार/टिप्पणी व्यक्त करें।

श्री प्रणबज्योति नाथ, सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार ने गोदावरी-कावेरी लिंक और कावेरी-वैगई-गुंडर लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान केरल के लिए 99.8 टीएमसी पानी के आवंटन पर विचार करने का अनुरोध किया। केरल राज्य को सभी सर्वसम्मति निर्माण चर्चाओं में शामिल होना चाहिए। उन्होंने उन्हें एनआईआरए के गठन के लिए मसौदा विधेयक की एक प्रति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।

श्री कृष्णमूर्ति, सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार ने अनुरोध किया कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को गोदावरी-कावेरी लिंक की डीपीआर को समान वितरण के सिद्धांत के अंतर्गत कर्नाटक सहित सभी संबंधित राज्यों को पथांतरण योग्य पानी की मात्रा दिखाकर शामिल करना चाहिए, क्योंकि डीपीआर में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को आवंटित पानी का उल्लेख नहीं है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार द्वारा नीरा प्रस्ताव की भी समीक्षा की जा रही है।

श्री संजीव हंस, सचिव, जल संसाधन विकास, बिहार सरकार ने माननीय मंत्री, बिहार सरकार द्वारा किए गए दृष्टिकोण को दोहराया और अनुरोध किया कि राजविअ कोसी-मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना की कार्यशील डीपीआर तैयार करने में मदद करे। उन्होंने अनुरोध किया कि राजविअ के अधिकारी बिहार राज्य के भीतर अन्य छोटी नदियों को जोड़ने का काम करें।

श्री आर. सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, कावेरी तकनीकी प्रकोष्ठ, तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु राज्य को जल आवंटन पर टिप्पणी की और उल्लेख किया कि वर्तमान डीपीआर के अनुसार गोदावरी-कावेरी लिंक की व्यवहार्यता रिपोर्ट में तमिलनाडु को 214 टीएमसी पानी आवंटित किया गया था, नुकसान पर विचार करने के बाद, केवल 70 टीएमसी पानी राज्य में पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने तमिलनाडु को जल आवंटन बढ़ाने की संभावना तलाशने का अनुरोध किया। उन्होंने नहर को कट्टलाई बैराज तक और अधिक ऊंचाई तक ले जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने लिंक के कार्यान्वयन को यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया। कावेरी-

वैगई-गुंडर लिंक पर उन्होंने बताया कि राज्य ने राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा दिए गए डिजाइन और लेआउट के आधार पर राज्य के निधियन से लिंक का काम शुरू किया है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर बाढ़ के पानी का उपयोग पथांतरित किया जा सके। उन्होंने पंबा-अच्चैनकोविल-वैप्पर लिंक परियोजना की डीपीआर लेने का भी अनुरोध किया।

श्री बी. हरिराम, इंजीनियर-इन-चीफ, तेलंगाना सरकार ने जल शक्ति मंत्री से गोदावरी-कावेरी लिंक में पानी के पथांतरण के लिए जल विज्ञान को मजबूत करने का अनुरोध किया और उन्होंने जीआरएमबी को प्रस्तुत परियोजनाओं की डीपीआर के लिए तेलंगाना राज्य द्वारा अनुमोदन प्रदान करने का मुद्दा भी उठाया।

श्री एम गोपाल कृष्णन, पूर्व महासचिव, आईसीआईडी और पूर्व सदस्य, केंद्रीय जल आयोग ने एनआईआरए के गठन के लिए प्रस्तावित प्रस्ताव की सराहना की। उन्होंने उल्लेख किया कि 22.10.21 को आयोजित टीएफआईएलआर की पहली बैठक के दौरान इस मुद्दे पर देरी से विचार-विमर्श किया गया था और वर्तमान प्रस्ताव टीएफआईएलआर की पिछली बैठक के निर्णयों के लगभग अनुरूप हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि प्रस्तावित संरचना के पहले विंग में राजविअ को शामिल करना अर्थात प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फॉर्मुलेशन विंग बहुत स्पष्ट है और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन विंग के संबंध में, उन्होंने सुझाव दिया कि समन्वय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देशों के साथ बातचीत करने का समय आ गया है ताकि हिमालयी घटक के अंतर्गत कुछ लिंक से संबंधित कार्य किया जा सके तथा संबंधित राज्यों और देशों के बीच प्रभावी ढंग से आम सहमति तक पहुंचने के लिए रणनीति तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस समन्वय कार्य के लिए और एसपीवीएस द्वारा लिंक प्रोजेक्ट के आगे कार्यान्वयन के लिए एक शीर्ष निकाय की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवीएस) की संरचना आवश्यकता के अनुसार एक लिंक से दूसरे लिंक में भिन्न हो सकती है। उन्होंने अनुरोध किया कि एससीआईएलआर को अनुमोदन के प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए।

श्री ए. डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी ने टिप्पणी की कि प्रस्तुत प्रस्ताव एक व्यापक प्रस्ताव है उन्होंने निम्नलिखित सुझाव दिए:

1. उन्होंने सुझाव दिया कि एनआईआरए के गठन के लिए राज्यों की टिप्पणियों को लिया जाना चाहिए ताकि आम सहमति निर्माण प्रक्रिया और लिंक परियोजनाओं के कार्यान्वयन चरण के लिए उनका पूरा समर्थन और भागीदारी हो।
2. उन्होंने विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधित्व की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि कुछ लिंकों के लिए पड़ोसी देशों से समन्वय की आवश्यकता होगी।
3. आईएलआर कार्यक्रम की परियोजनाओं की योजना और औपचारिकता अन्य जल संसाधन परियोजनाओं की तुलना में थोड़ी अलग हो सकती है और इस तरह के मतभेदों को अधिसूचित किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों के साथ चर्चा की जानी चाहिए और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यह एनआईआरए, सीडब्ल्यूसी और सीजीडब्ल्यूबी के बीच मजबूत संरचनात्मक लिंक होने से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

4. उन्होंने सुझाव दिया कि चूंकि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को एनआईआरए में शामिल किया जाना है, इसलिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण के कार्य जो आईएलआर से संबंधित नहीं हैं जैसे एआईबीपी, नाबार्ड आदि ऐसे कार्यों को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किसी अन्य एजेंसी को सौंपे जाने चाहिए।
5. उन्होंने अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और अध्यक्ष सीजीडब्ल्यूबी को समितियों में शामिल करने के लिए कुछ सुझाव भी दिए और एनआईआरए के अंतर्गत समितियों में पानी की अधिकता वाले दो राज्यों और पानी की कमी वाले दो राज्यों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी से शामिल करने का सुझाव भी दिया।
6. उन्होंने एनआईआरए प्रस्ताव में सीमित तरीके से मांग प्रबंधन को शामिल करने का उल्लेख किया।

श्री मोहिले के सुझाव पर, माननीय मंत्री, जल शक्ति ने टिप्पणी की कि इस स्तर पर इस प्रस्ताव में मांग प्रबंधन को शामिल करना प्रति-उत्पादक हो सकता है और राज्यों द्वारा मांग प्रबंधन के मुद्दे को जिस तरह से उचित समझा जाए, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए।

श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल शक्ति मंत्री ने उल्लेख किया कि टीएफआईएलआर की पिछली बैठक के दौरान किए गए एनआईआरए के प्रस्ताव के संबंध में टीएफआईएलआर के सदस्यों की अधिकांश सिफारिशों और सुझावों पर विचार किया गया है। राजविअ द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले संशोधित प्रस्ताव में ए.डी. मोहिले के सुझावों पर उचित रूप से विचार किया जाएगा।

एनआईआरए के गठन के लिए संशोधित प्रस्ताव जैसा कि बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया था, विशेष समिति द्वारा व्यापक रूप से सहमति व्यक्त की गई थी।

माननीय मंत्री, जल शक्ति ने महानिदेशक, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को बैठक समाप्त करने के लिए कहा।

महानिदेशक,, राजविअ ने अपने समापन भाषण में, माननीय जल शक्ति मंत्री, माननीय जल शक्ति राज्य मंत्री, विभिन्न राज्यों के माननीय मंत्रियों, विशेष समिति के सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितों और अन्य प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया और सभी के प्रति उनके बहुमूल्य विचार-विमर्श एवं मार्गदर्शन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि लिंक परियोजनाओं पर राज्यों के विचारों/टिप्पणियों पर विधिवत विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि एनआईआरए के गठन पर एससीआईएलआर के सदस्यों के विचारों को प्रस्ताव में विधिवत शामिल किया जाएगा और संशोधित प्रस्ताव अनुमोदन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा।

धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक-I

दिनांक 12.11.2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आयोजित राजविअ की 35वीं वार्षिक सामान्य बैठक और नदी जोड़ पर विशेष समिति की 19 बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची।

क्र.सं.	नाम और पदनाम	जुड़ने का तरीका
1.	श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, माननीय मंत्री जल शक्ति, नई दिल्ली और अध्यक्ष, राजविअ की वार्षिक सामान्य बैठक एवं अध्यक्ष, एससीआईएलआर।	भौतिक
2.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल, माननीय राज्य मंत्री जल शक्ति और उपाध्यक्ष, राजविअ की वार्षिक सामान्य बैठक ।	भौतिक
3.	श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री (जल संसाधन विभाग), बिहार सरकार।	भौतिक
4.	श्री के. लक्ष्मीनारायणन, माननीय लोक निर्माण मंत्री, पुडुचेरी सरकार	वर्चुअल
5.	श्री उदयलाल अंजना, मंत्री (सहकारिता और आईजीएनपी), राजस्थान सरकार।	भौतिक
6.	श्री पंकज कुमार, सचिव, ज.सं.न.वि व गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।	भौतिक
7.	सुश्री देबाश्री मुखर्जी, अपर सचिव, ज.सं.न.वि व गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।	भौतिक
8.	श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, ज.सं.न.वि व गं.सं.वि., जल शक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, आईएलआ पर टास्क फोर्स	भौतिक
9.	श्री एस. के. हालदर,, अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।	भौतिक
10.	डॉ. नंदकुमारन पी. अध्यक्ष, सीजीडब्ल्यूबी, नई दिल्ली।	भौतिक
11.	डॉ. मृत्युंजय महापात्र, महानिदेशक, आईएमडी, नई दिल्ली।	वर्चुअल
12.	श्री अविनाश मिश्रा, सलाहकार, नीति आयोग, नई दिल्ली	वर्चुअल
13.	श्री श्यामला राव, सचिव, जल संसाधन विभाग, आंध्र प्रदेश, सरकार।	वर्चुअल
14.	श्री संजीव हंस,	भौतिक

	सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।	
15.	श्री कृष्णमूर्ति बी. कुलकर्णी सचिव, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार।	भौतिक
16.	श्री प्रणबज्योति नाथ, सचिव, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार।	भौतिक
17.	श्री अजय कोहिरकर, सचिव, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	भौतिक
18.	श्री ए. विक्रांत राजा, सचिव, लोक निर्माण, पुडुचेरी सरकार।	वर्चुअल
19.	डॉ. पृथ्वी राज, सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार,	भौतिक
20.	श्री आर. सुब्रमण्यम, अध्यक्ष, सीटीसी सह आईएसडब्ल्यूडब्ल्यू, जल संसाधन विभाग, तमिलनाडु सरकार	भौतिक
21.	श्री श्रीरामईह, प्रधान तकनीकी सलाहकार, जल संसाधन विभाग, कर्नाटक सरकार	भौतिक
22.	श्री श्रीधर राव देशपांडे मुख्यमंत्री के ओएसडी, तेलंगाना सरकार।	भौतिक

23.	श्री अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष और सीटीओ, परमारश इंजिनियर्स प्रा लिमिटेड, नागपुर और विशेषज्ञ (एससीआईएलआर)	भौतिक
24.	श्री एम. गोपाल कृष्णन पूर्व महासचिव, आईसीआईडी, और विशेष आमंत्रित।	भौतिक
25.	श्री एडी मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और विशेष आमंत्रित।	भौतिक

26.	श्री भोपाल सिंह, महानिदेशक, राजविअ और सदस्य सचिव, एजीएम और एससीआईएलआर	भौतिक
राज्य सरकारों और अन्य मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी		
27.	श्री सी. नारायण रेड्डी, इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार।	वर्चुअल
28.	श्री आर.के. नागरिया मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, छत्तीसगढ़ सरकार।	भौतिक
29.	श्री एम.के.जैन मुख्य अभियंता, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार।	भौतिक
30.	श्री राकेश चौहान, इंजीनियर-इन-चीफ, हरियाणा सरकार	वर्चुअल
31.	श्री मोतीलाल पिंगुआ, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार।	भौतिक
32.	श्री एम. रवि, मुख्य अभियंता, अंतर्राज्यीय जल, डब्ल्यू.आर.डी.ओ., कर्नाटक सरकार।	भौतिक
33.	श्री सी.एस.घाटोले मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।	भौतिक
34.	श्री अशीम महापात्रा, इंजीनियर-इन-चीफ, जल संसाधन विभाग, ओडिशा सरकार।	वर्चुअल
35.	श्री रवि सोलंकी मुख्य अभियंता, राज्य जल योजना विभाग। राजस्थान सरकार	भौतिक
36.	श्री बी. हरिराम इंजीनियर-इन-चीफ, सिंचाई विभाग, तेलंगाना सरकार।	भौतिक
37.	श्री संदीप कुमार मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।	भौतिक

38.	श्री के.ए. श्रीनिवास रेड्डी, मुख्य अभियंता, आईएस एंड डब्ल्यूआर, आंध्र प्रदेश सरकार	वर्चुअल
39.	श्री एस. सुगुणकर राव, मुख्य अभियंता, उत्तर तटीय, आंध्र प्रदेश सरकार	वर्चुअल
40.	श्री योगेश पैठंकर मुख्य अभियंता, (पीएओ) सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली	भौतिक
41.	श्री योगेंद्र पाल सिंह वैज्ञानिक ई वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली।	भौतिक
42.	श्री अर्जुन शर्मा जिला कलेक्टर सह संभागीय दंडाधिकारी, कराईकल क्षेत्र, पुडुचेरी सरकार	वर्चुअल
43.	के श्री बलवान कुमार, निदेशक, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली	वर्चुअल
44.	श्री पद्म कांत झा अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार	भौतिक
45.	श्री महेश जी. धौगर अधीक्षण अभियंता दमनगंगा परियोजना सर्किल, गुजरात सरकार।	भौतिक
46.	श्री जे.के. त्रिवेदी अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, गुजरात सरकार	भौतिक

47.	श्री एस.के. साहा, अधीक्षण अभियंता, आरआई, रुड़की, उत्तराखंड सरकार।	वर्चुअल
48.	श्री कृष्ण कुमार सिंह विशेष रेजीडेंट आयुक्त, पुडुचेरी सरकार	भौतिक
49.	श्री चारु चंद्र मिश्रा पूर्व इंजीनियर, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार।	भौतिक
50.	श्री पंकज राज गर्ग	भौतिक

	अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार।	
51.	श्री गगनदीप सिंह गिल, अधिशासी अभियंता (ड्रेनेज) पंजाब सरकार	भौतिक
52.	श्री अश्विनी कुमार यादव अधिशासी अभियंता और संपर्क अधिकारी, आईजीएनपी, राजस्थान सरकार।	भौतिक
53.	श्री एम.के. कुशवाहा परामर्शदाता वन एव पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	भौतिक
54.	श्री गुरदीप सिंह, जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार।	वर्चुअल
55.	श्री विजय कुमार पीजी, नोडल अधिकारी, जल संसाधन विभाग, केरल सरकार	भौतिक
56.	श्री ओपी सिंह कुशवाहा विशेषज्ञ सलाहकार जल संसाधन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	भौतिक
57.	श्री करणवीर सिंह, जल संसाधन विभाग, पंजाब सरकार	वर्चुअल
58.	श्री पी.वी.राजू एनआरएससरी, हैदराबाद	वर्चुअल
59.	डॉ आलोक कुमार सहायक अभियंता ., जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार।	भौतिक
जल संसाधन नदी विकास व गंगा सेरक्षण विभाग जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिकारी		
60.	श्री संजय अवस्थी, जेएस (आरडी एंड पीपी)	भौतिक
61.	श्री मनोज सेठी संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार	भौतिक
62.	श्री सुबोध यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)	वर्चुअल
63.	श्री विवेक पाल (यूपीई) सीनियर ज्वाइंट कमिश्नर (पीपी)	वर्चुअल
64.	श्री राकेश कुमार वारिष्ठ संयुक्त आयुक्त (बीएम)	भौतिक
65.	श्री अमरदीप सिंह सलाहकार (लागत) मुख्य सलाहकार का कार्यालय	भौतिक
66.	श्री अमर पाल सिंह, माननीय जल शक्ति मंत्री के अपर निजी सचिव	भौतिक
'राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (राजविअ)के अधिकारी		

67.	श्री आरके जैन, मुख्य अभियंता (मुख्यालय), नई दिल्ली	भौतिक
68.	डॉ आरएन संखुआ, मुख्य अभियंता (दक्षिण), हैदराबाद	वर्चुअल
69.	श्री शिव प्रकाश, मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ	भौतिक
70.	श्री डी.के शर्मा, निदेशक (तकनीकी), नई दिल्ली	भौतिक
71.	श्री बीएल शर्मा, अधीक्षण अभियंता, ग्वालियर	भौतिक
72.	श्री एस.सी. अभियंता अवस्थी अधीक्षण, नई दिल्ली	भौतिक
73.	श्री एसमहोर अधीक्षण अभियंता आर, नई दिल्ली	भौतिक
74.	श्री राकेश कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता, भुवनेश्वर	वर्चुअल
75.	श्री सुब्रत हलदर, निदेशक (वित्त), नई दिल्ली	भौतिक
76.	श्री चिरब्रत सरकार, निदेशक (प्रशासन), नई दिल्ली	भौतिक
77.	श्री डी.बी. सिंह उप निदेशक कार्यालय मुख्य अभियंता (उत्तर), लखनऊ	वर्चुअल
78.	सुश्री दीपिका शर्मा, उप निदेशक(एच), नई दिल्ली	वर्चुअल
79.	श्री के.के. राव, सहायक निदेशक, नई दिल्ली	वर्चुअल
80.	श्री.एस. जेम्स, सहायक निदेशक, नई दिल्ली	भौतिक
81.	श्री निखिल वीजे, कनिष्ठ अभियंता, नई दिल्ली	भौतिक
82.	श्री पी.वी. बैजू सलाहकार, नई दिल्ली	भौतिक
83.	श्री सीएस सेंगपीर, सलाहकार, नई दिल्ली	भौतिक